



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

95 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 08 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक श्री आर.पी. सिंह द्वारा अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध कार्यवाही के तहत थाना हरगांव,इ0सु0पुर,तम्बौर,रेउसा पुलिस द्वारा 08 व्यक्ति गिरफ्तार कर कुल 95 लीटर अवैध शराब बरामद की गयी। विवरण निम्नवत् है

1. थाना हरगांव द्वारा 02 अभियुक्त के कब्जे से 30 ली0 शराब बरामद- दिनांक 07.11.2020 को 1.धर्मेन्द्र राज पुत्र राजेन्द्र निवासी महादेव अटरा थाना हरगांव सीतापुर 2. पृथ्वी पुत्र नागेश्वर निवासी मुद्रासन थाना हरगांव सीतापुर जनपद सीतापुर कब्जे से क्रमशः 30 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर क्रमशः मु0अ0सं0 538/20,539/20 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।
2. थाना इ0सु0पुर द्वारा 01 अभियुक्त के कब्जे से 05 ली0 शराब बरामद- दिनांक 07.11.2020 को 1.कैलाश लोनिया पुत्र गेंदालाल निवासी बीबीपुर थाना इमलिया सुल्तानपुर जनपद सीतापुर कब्जे से क्रमशः 05 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर क्रमशः मु0अ0सं0 314/20 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।
3. थाना तम्बौर द्वारा 04 अभियुक्त के कब्जे से 40 ली0 शराब बरामद- दिनांक 07.11.2020 को 1.छोटकन्नू पुत्र श्रीराम निवासी सेनापुर थाना ईशानगर जनपद खीरी 2. सिरप्यारी पत्नी जोखे निवासी सेनापुर थाना ईशानगर जनपद खीरी 3. कुसुमा पत्नी राम जीवन निवासी सेनापुर थाना ईशानगर जनपद खीरी 4. राम गुनी पुत्री अच्छेलाल निवासी सेनापुर थाना ईशानगर जनपद खीरी कब्जे से क्रमशः 40 लीटर अवैध कच्ची शराब व बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0 327/20,328/20,329/20,330/20 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।
4. थाना रेउसा द्वारा 01 अभियुक्त के कब्जे से 20 ली0 शराब बरामद- दिनांक 07.11.2020 को 1.खुशीराम पुत्र मुरली निवासी भौली थाना रेउसा जनपद सीतापुर कब्जे से क्रमशः 20 लीटर अवैध कच्ची शराब व बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0 327/20 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।